न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/145

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 नाथू, जाति माली निवासी शिव नगर, कापरेन तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
2. गणेशराम पुत्र स्व0 नाथू, जाति माली निवासी सूखणी इटावा जिला कोटा (राज0)।
3. भंवरलाल पुत्र स्व0 नाथू, जाति माली निवासी शिव नगर, कापरेन तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
4. भूरी पुत्री स्व0 नाथू, पत्नी रामकुंवार जाति माली निवासी ग्राम उम्मेदपुरा तहसील पीपल्दा जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बूढ़िया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री महेश शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री कृष्णदत्त दाधीच– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय दिनांक 16.08.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 131/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया किकृषि भूमि

खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम व माल बुढिया तहसील के पाटन जिला बून्दी राज में स्थित है । उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा दिनांक 12/6/1990 को बेचान कर दिया व बैचान नामा लिख कर मौके पर कब्जा सम्मला दिया गया था। उक्त कृषि भूमि के बैचान के समय से ही वादी का बैचान के आधार पर काबिज काश्त है व बैचान दिनांक दिनांक 12/06/0 से ही यादी कृषि कार्य करता चला आ रहा है। काबिज होकर काश्त कर रहा है जो निरन्तर आज तक है । वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि को वादी के खाते दर्ज करा देवें प्रतिवादीगण कई वर्षों से टालमटोल करते रहे व दिनांक 01/09/16 को कतई इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि श्रीमान न्यायालय में वाद दायर कर उक्त दस्तावेज जो तीस वर्षो से अधिक पुराना है बैचान नामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादी के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की जायें व प्रतिवादीगण को जये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जायें कि यादी के खाते दर्ज होने के बाद वादी के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। अन्त में वादी का वाद स्वीकार कर वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 है वाके ग्राम बुढिया तहसील के० पाटन का वादी को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 06.09.2019 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की निर्णय व डिक्री पारित की, कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 हैक्टेयर वाके ग्राम व माल बुढिया तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज. के बाजार मूल्यानुसार वादी द्वारा उप पंजीयक कार्यालय के0पाटन में रजिस्टर्ड करवाने के पश्चात् तहसीलदार केशवरायपाटन रजिस्टर्ड डिक्री के आधार पर वादी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख

तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी क्योंकि एकतरफा निर्णय किया गया है। प्रार्थी बाबूलाल हल्का पटवारी के पास उक्त भूमि पर ऋण लेने के लिये जानकारी करने गया तो दिनांक 08.06.2022 को बताया गया कि यह भूमि तो रामगोपाल के खाते लग चुकी है । तब के0पाटन वकील साहब के पास गये और उन्होने तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर निर्णय के बारे में बताया तब दिनांक 10.06.2022 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र दिया तथा नकल दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त हुई तत्पश्चात वकील साहब ने बताया कि इस निर्णय व डिक्री की अपील कोटा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी तब प्रार्थीगण ने रूपयों की व्यवस्था कर कोटा में वकील साहब नियुक्त कर अपील पेश की है। इसलिये एकतरफा निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं होने से तथा दिनांक 08.06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम होने तत्पश्चात तहसील व उपखण्ड अधिकारी के0पाटन में जानकारी करवाने पर दिनांक 10.06.2022 को निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.06.2022 को नकल प्राप्त होने से अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील पेश करने में सद्भाविक विलम्ब हुआ है जो माफ किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2019 एकतरफा में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण उपस्थित नहीं थे अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो० कम 1/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन में दावा अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 86 89 व 188 आर.टी. एक्ट अपीलान्ट के विरुद्ध पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 0.43 हेक्टर बाके ग्राम बुढ़िया, तहसील के पाटन, जिला बून्दी को प्रतिवादीगण अपीलांटगण के पिता द्वारा दिनांक 12/06/1970 को बेचान कर दिया व मौके पर कब्जा संभला दिया तब से यादी काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 01/09/2016 को बाद वर्णित कृषि भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज करवाने से इंकार कर दिया इसलिये वादी को बाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए पी. डब्ल्यू 1 रामगोपाल एवं प्रभुलाल व लदूरलाल के शपथ पत्र एवं प्रदर्श–1 जमाबंदी व प्रदर्श–2 बेचान नामा के आधार पर वादी का बाद दिनांक 06/09/2019 को एकतरफा डिकी कर दिया। जिसकी अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय में अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी आरबीट्रेरी एवं केप्रिशियस तथा मनमाना होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी वाद के सम्मन अपीलान्ट्स को कभी प्राप्त नहीं हुए। अपीलान्ट गणेशराम गत 7–8 वर्षों से ग्राम इटावा जिला कोटा में निवास करता है तथा अपीलान्ट भूरी विवाह के बाद से ही लगभग 25 वर्षों से ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में अपने पति के साथ निवास करती है, परन्तु तामील कुनिन्दा ने मकान पर चस्पा करने का करण भी नहीं लिखा। वास्तविकता यह है कि तामील कुनिन्दा अपीलान्ट्स के पास समन लेकर गया ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सादा कागज पर बिना स्टाम्प, अनरजिस्टर्ड, फर्जी बनावटी तहरीर के आधार पर अपीलान्ट्स के खाते की जमीन रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करके भयंकर कानूनी त्रुटि की है। सादा कागज पर लिखा कथित बेचान नामा, साक्ष्य में पढने योग्य नहीं होने व प्रदर्श योग्य नहीं होने के बावजूद इस पर रिलाई करके, दावा कर दिया जो कानूनन त्रुटिपूर्ण है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अधिकार के अवैध रूप से दावा डिकी करके भयंकर गलती की है। कथित बेचान का कोई गवाह व लेखक भी बादी ने साक्ष्य में पेश नहीं किया इसके बावजूद बेचान पर रिलाई कर त्रुटी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. के अनुसार स्वीकृति मानकर त्रुटी की है, जबकि प्रतिवादीगण को तो प्रकरण की सूचना ही नहीं मिली व न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट कम को जमीन मुनाफे पर दी हुई थी तथा इसी आधार पर रेस्पो० कम 1 काबिज रहा है।

अपीलान्ट्स गरीब व्यक्ति हैं तथा अपीलान्ट कम 1 से 3 मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा इनकी और अन्य भूमि भी नहीं है। रेस्पो० कम 1 द्वारा षडयंत्र पूर्वक फर्जी कागज के आधार पर एकतरफा निर्णय करवाया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी क्योंकि एकतरफा निर्णय किया गया है। अपीलान्ट बाबूलाल हल्का पटवारी के पास उक्त भूमि पर ऋण लेने के लिये जानकारी करने गया तो दिनांक 08/06/2022 तो बताया गया कि यह भूमि तो रामगोपाल के खाते लग चुकी है तब के0 पाटन वकील साहब के पास गये और उन्होंने तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर निर्णय के बारे में बताया तब दिनांक 10/06/2022 को निर्णय व डिकी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया तथा नकल दिनांक 20/06/2022 को प्राप्त हुई तत्पश्चात वकील साहब ने बताया कि इस निर्णय व डिकी की अपील कोटा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी तब अपीलान्ट्स ने रूपयों की व्यवस्था कर कोटा में वकील साहब नियुक्त कर अपील पेश की है, इसलिये एकतरफा निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं होने से तथा दिनांक 08/06/2022 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि रेस्पो० कम 1 के नाम होने तत्पश्चात तहसील व क्ट उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन में जानकारी करवाने पर दिनांक 10/06/2022 को निर्णय डिकी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20/06/2022 को नकल प्राप्त होने से अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अपील पेश करने में सद्भाविक विलम्ब हुआ है जो माफ किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन, जिला बून्दी का निर्णय व डिकी दिनांक 06/09/2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटगण के पिता ने दिनांक 12.06.1970 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपंजीकृत दस्तावेज से विकय की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि को खातेदार नाथू से निश्चित प्रतिफल अदा कर खरीद की है। खरीद दिनांक से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी कयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांटगण का उक्त विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 103, ए.आई.आर. 2003 एस.सी.

पेज 1905 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2019 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न Ex-1 सही प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम बूढ़िया तहसील के0पाटन जिला बून्दी की खाता संख्या 55 की खसरा संख्या 714 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि नाथू वल्द गोमदा कौम माली सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में अंतरण के कॉलम में, "नामा0स0 395 ता0 08.06.2015 से मृतक नाथू के स्थान पर उनके वारिसान बाबूलाल, गणेशराम, भंवरलाल आ0 नाथू, भूरीबाई पुत्रियां नाथू जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज करने का आदेश हुआ।" का नोट अंकित है। EX-2 अपंजीकृत दस्तावेज (लिखा–पढ़ी) है। Ex-3 सिंचाई विभाग राजस्थान खतौनी जल उपयोक्ता संगम चक बुढीया तहसील के.पाटन सिंचाई खण्ड काप्रेन(बाई मुख्य नहर) साख रबी व खरीफ सम्वत् 2054 से 2072 की है। Ex-4 जल संसाधन विभाग की रसीद है। Ex-5 रसीद है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने चस्पानगी कर तामील करवाने के आदेश नहीं दिए। सभी सम्मन नोटिस के पीछे एक ही भाषा अंकित है, "दो मोतबिरान के सामने खुले मकान पर चस्पा की सेवा में बाद तामील पेश है।" तथा चारो सम्मन पर दो गवाहों के रूप में समान हस्ताक्षर अंकित है। दो गवाहों की स्पष्ट पहचान एवं पता अंकित नहीं है। किन परिस्थितियों में सम्मन चस्पा किए गए यह भी अंकित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि प्रतिवादी भूरी पुत्री स्व. श्री नाथू तो पिछले लगभग 25 वर्ष से ग्राम उम्मेदपुरा तहसील पीपल्दा में निवास करती है, तो वह सम्मन कैसे प्राप्त कर सकती है? अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में हमारे मत में सी.पी.सी. के आदेश 5 के प्रावधानों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई तथा अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हुई। Ex-1 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलांटगण संख्या 1 से 4 का नाम विवादित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में आ चुका था। इससे पूर्व विवादित भूमि अपीलांटगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। ऐसी स्थिति मे न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2019 के बिन्दु संख्या 5 में जिस प्रकार से हस्तगत प्रकरण में आदेश 12 नियम 6 का विवेचन, विश्लेषण किया है, उससे

हम सहमत नहीं है। प्रतिवादीगण ने कभी वादी के कथनों को स्वीकार नहीं किया ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति को प्रतिवादीगण का स्वीकारात्मक जवाब मानना उचित नहीं है। EX-2 बेचाननामा भी अपंजीकृत दस्तावेज है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ भिन्न होने से प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व विधि के प्रकाश में अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.09.2019 विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन के प्रकरण संख्या 131/2016 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 06.09.2019 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2023 को उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा